UPGK010023332026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–991/2026

अनूप यादव पुत्र श्री कृष्ण यादव उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी ग्राम गोलापार, थाना उरूवा, जिला गोरखपुर।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–109/2023
अंतर्गत धारा–323,504,506 भा0दं0सं0
व धारा 3(1) द,ध SC/ST Act
थाना–उरूवा बाजार, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 28–04–2026

आवेदक/अभियुक्त **अनूप यादव** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र स्वयं द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अभिमन्यू यादव पुत्र त्रिलोकी यादव ग्राम छेदी डड़वा थाना बांसगांव हालमुकाम ग्राम गोलीपार थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर में प्रार्थी ट्रेक्टर ट्राली लेकर घर जा रहा था कि रास्ते में ट्रैक्टर को रोककर कमलेश पुत्र छंग्गी, उसके भाई अखिलेश पुत्र छंग्गी, निलेश पुत्र उमेश व विपिन पुत्र कमलेश निवासीगण गोलापार थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर ने मुझे लाठी डंडे से बुरी तरह से मारा पिटा जिससे गम्भीर चोट आयी है तथा जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। यह घटना दिनांक 24/5/2023 रात्रि 12 की है। उक्त लोग गाली गुप्ता देते हुए फरार हो गये।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उसे विपक्षी द्वारा रंजिशवश इस मुकदमे में झूठा फँसाया गया है। वास्तविक घटना दिनांक 24.05.2023 को रात्रि लगभग 12 बजे की है, जब विपक्षीगण कमलेश पुत्र छंगी, अखिलेश पुत्र छंगी, निलेश पुत्र उमेश तथा विपिन पुत्र कमलेश द्वारा गोलबंद होकर प्रार्थी व उसके चाचा अभिमन्यु के साथ मारपीट की गयी तथा प्रार्थी के ट्रैक्टर को रोककर गाली–गलौज करते हुए लाठी–डंडों से लैस होकर मारपीट की गयी। उक्त घटना के संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा दिनांक 25.05.2023 को थाना उरुवा बाजार में मुकदमा अपराध संख्या 107/2023 धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. पंजीकृत कराया

गया था। उक्त घटना के संबंध में सर्वप्रथम प्राथमिकी प्रार्थी के चाचा अभिमन्यु पुत्र त्रिलोकी यादव द्वारा दर्ज करायी गयी थी, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी पक्ष ही पीड़ित पक्ष है तथा यह मामला क्रॉस केस (Cross Case) का है। उपरोक्त मुकदमे की पेशबंदी, रंजिश एवं प्रतिशोधवश विपक्षी अखिलेश पुत्र छंगी द्वारा दिनांक 27.05.2023 को प्रार्थी व अन्य के विरुद्ध झूठा एवं मनगढ़ंत मुकदमा अपराध संख्या 109/2023 धारा 3(1)द, ध एससी/एसटी एक्ट तथा धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. में दर्ज करा दिया गया है। प्रार्थी का एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत आरोपित अपराध से कोई संबंध नहीं है तथा उसे केवल दुर्भावनावश इस मुकदमे में नामजद किया गया है। प्रार्थी एक सम्मानित व्यक्ति है तथा न्यायालय से भागने अथवा साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में वादी मुकदमा को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी–डंडे से उपहति कारित करने का अभियोग लगाया गया है। आवेदक/अभियुक्त अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s 528 BNSS No. 6400 of 2025 Smt. Bacchi Devi vs. State of U.P. and other [Netural Citation No. 2025: AHC:136034]** में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अनूप यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–991/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रभारी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर